16/03/26 तलबी

प्रस्तुतकर्ता अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली आज्ञार्थ आज तलबी दिनांक 7/5/26 को पेश हो।

सहायक कलक्टर, बीकानेर शहर

07.05.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु व उनके वारिसान पूर्व से रिकॉर्ड पर होने के आधार नाम तर्क किये जाने को वाद में स्वीकार किए जाने क्रम में प्रार्थना पत्र 212 RTA से अप्रार्थी 01 का नाम लाल स्याही से तर्क किया जाकर प्रतिहस्ताक्षरित किया गया। अप्रार्थी 06 व 07 के विरुद्ध वाद के क्रम में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में सभी अप्रार्थीगण के विरुद्ध EX पार्टी की कार्यवाही होने पर वकील प्रार्थी की बहस 212 RTA बाबत सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक भूमि है। जिसके विरासतन नामान्तकरण में प्रार्थीया का नाम छोड़ा जाकर अप्रार्थीगण ने (1 to 5) अपने नाम अंकन करवा लिया। तत्पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी को चोरी-छिपे अप्रार्थी 06, 07 को विक्रय कर दिया। यदि वादग्रस्त आराजी बाबत प्रार्थीया को मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश तात्कालिक वाद नहीं दिया जाता है तो प्रार्थीया को भूमि के अन्तरण/चयन की दशा में अपूरणीय क्षति होगी। अतः तात्कालिक वाद T.I. जारी की जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज
	हमने बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है जिस बाबत प्रार्थीया का जन्म से ही हक-हिस्सा होने का प्रश्न हिन्दू उत्तराधिकार विधि के कानूनी आलोक में विनिश्चयन होना है। परन्तु वादग्रस्त आराजी के संबंध में पैतृक भूमि होने व पिता की मृत्यु पर नामान्तरकरण के नाम छोड़ा जाना प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में होना दर्शित करते हैं। वादग्रस्त भूमि का पूर्व में बेचान हो चुका है यदि इसके अन्तरण को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है तो ना केवल प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी अपितु वाद-बाहुल्य भी बढ़ेगा। पूर्व में 05 वर्ष से अस्थाई निषेधाज्ञा 05 वर्ष से अधिक समय से प्रभाव में है परन्तु अप्रार्थी पक्ष द्वारा कोई न्यायिक चाराजोई नहीं की है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने के कारण विवादित आराजी ग्राम मैणो का बास ख.न. 18 तादादी 21-02 बीघा, 41 में 49 बीघा, 185/162 में 18 बीघा, 186/163/40 में 17-08 बीघा, 187/164/40 में 17-19 बीघा, 188/165/40 में 8-10 बीघा तादादी 132-03 बीघा के रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाए रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल मूलवाद हो निर्णय सदे इजलास सुनाया गया।
	[signature] [illegible] RAC

Scanned with OKEN Scanner